जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमरा नम्बर–15 एम.बी, राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004
दुरभाष:+91-141-2569696 Extn. 7015

क्रमांकः जविप्रा / संस्थापन / लेखा / 2022–23 / डी– 345 दिनांकः 24/3/2023

ई–बिड आमंत्रण सूचना

बिड संख्या– DC(Admn.)- 09 / 2022–23

जयपुर विकास प्राधिकरण में अरबन प्लानर, आर्किटैक्ट, ट्रांसपोर्ट प्लानर, लैण्डस्केप आर्किटैक्ट, कन्र्जवेशन आर्किटैक्ट, जी.आई.एस. स्पेशलिस्ट एवं ऑटोकैड ऑपरेटर सेवाएं संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 13.04.2023 को सायंकाल 5:00 बजे तक ऑनलाइन बोली आमंत्रित की जाती हैं। उक्त बोली की अनुमानित लागत राशि रू. 500.00 लाख है। बोली का ऑनलाईन आवेदन व भुगतान जविप्रा पोर्टल पर करने की अंतिम तिथि 13.04.2023 को सायं 5.00 बजे तक है। विस्तृत विवरण, जो कि बोली प्रपत्र में उपलब्ध है, अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अथवा राजस्थान सरकार के उपापन पोर्टल www. sppp.raj.nic.in व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है

बोलीदाता को बोली में भाग लेने हेतु आवश्यक है कि :–

1 जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो। बोली में भाग लेने के लिए बोलीदाता को आवेदन हेतु बोली प्रतिभूति शुल्क, दस्तावेज शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क ऑनलाईन जमा करानी होगी।

2 ऑनलाईन बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान सरकार के ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो।

UBN No. ....

24/03/2023
उपायुक्त (प्रशासन)
जविप्रा, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Room No. MB-15, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Telephone:+91-141-2569696 Extn. 7015

No:- JDA/EST./ACTT./2022-23/D- 345

Date 24.03.2023

NOTICE INVITING E- BID

NIB NO.: DC(Admn.)- 09/2022-23

Online Bids are invited for providing Urban Planners, Architects, Transport Planners, Landscape Architects, Conservation Architects, G.I.S Specialist & Auto Cad Operator Services on Contract up-to 5:00 PM of 13.04.2023 Estimated cost of Bid is Rs 500.00 Lacs. The last date for Applying Bid and making online payment on JDA portal is up-to 5:00 PM of 13.04.2023 Details may be seen in the Bidding Doucment at office or the State Public Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban.rajasthan.gov.in.

To participate in the bid, bidder has to be :

1. Registered on JDA website www. jda.urban.rajasthan.gov.in, For Participating in the bid, the bidder has to apply for the bid and pay the Bid Security Fee, Bidding Document Fee, RISL Processing Fee deposit, online only.
2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

UBN No. ....

24.03.2023

Deputy Commissioner (Admn.)
JDA, Jaipur

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

Detail NIB for uploading on SPP Portal, e-Procurment, JDA Protal & as part of NIB Document

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

No:- JDA/EST./ ACTT./2022-23/345

Date: 24.03.2023

NOTICE INVITING E-BID

NIB NO. : DC(Admn.)- 09/2022-23

Name & Address of the Procuring Entity	➢ Name: Jaipur Development Authority Address: Deputy Commissioner (Admn), Room No. 15 Main Block, Ram Kishore Vyas bhawan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Subject Matter of Procurement	Providing Urban Planners, Architects, Transport Planners, Landscape Architects, Conservation Architects, G.I.S Specialist & Auto Cad Operator
Period	➢ For One year
Bid Procedure	➢ Single Stage Two Part open competitive eBid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in
Websites for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums, etc.	➢ Website: www.sppp.rajasthan.gov.in www.eproc.rajasthan.gov.in www.jda.Urban.Rajasthan. gov.in
Website for online Bid application and payment *	➢ Website: www.jaipurjda.org. ➢ For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bidding Document fee, RISL Processing fee Deposit, and Bid Security deposit online only. o Bidding document fee: Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) (@50% cost for SSI/MSMEs units) o RISL Processing Fee: Rs 2000/- (Rupees Two Thousand only) ➢ Requisite Bid Security Money - Amount (INR) : 2% of Estimated Procurement Cost, 0.50% of S.S.I./MSME of Rajasthan, 1% for Sick Industries, other than S.S.I., whose cases are pending with Board of Industrial & Financial Reconstruction o In case of Departments' of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government shall submit a bid securing declaration in lieu of bid security.
Estimated Procurement Cost	➢ INR 5.00 Crore (Five Crore Only)
Bid Security Deposit	➢ In case of Departments' of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government shall submit a bid securing declaration in lieu of bid security.
Applying Bid and Making Online Payment On JDA Portal www.jda.Urban.Rajasthan. gov.in	➢ start Date:- 24.03.2023 at 3:00 PM onwards ➢ End Date:- 13.04.2023 at 5:00 PM
Bid Submission on e-procurement Portal of GOR (www.eproc.rajasthan.gov.in)	➢ start Date:-24.03.2023. at 3:00 PM onwards ➢ End Date:- 13.04.2023 at 5:00 pm
Date/Time/Place of Technical Bid Opening	➢ 13.04.2023 at 6:00 PM Room No. 15, Main Block, JDA, Jaipur.
Date/Time/Place of Financial Bid Opening	Will be intimated later to the technically qualified bidders
Bid Validity	➢ 120 days from the bid submission deadline

24/03/2023

DC (Admn.)

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

Process for Participation & Depositing Payment Online

Jaipur Development Authority has decided to receive Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security), Tender Fee and RISL processing fee online through JDA Portal. The options available in tender for participants are as mentioned below:

A. To participate in the bid, bidder has to be:

- Registered on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in (by depositing Rs. 500.00 online, the validity of which remains 3 (three) years).
- For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bid Document Fee, RISL Processing Fee Deposit+ Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security), online only.
- Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

B. Payment Options:

Option-1:

Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security) +Tender Fee + RISL Processing Fee amount will be paid through **Payment Gateway only.**

options of making complete payment through Payment Gateway or through EFT (NEFT / RTGS) will be available.

Option-2: Electronic Fund Transfer (EFT: NEFT/RTGS)

If the bidder selects payment mode as EFT (NEFT/RTGS), "**Paying Slip for EFT (NEFT/RTGS)**" will be generated by the system for the complete amount. The payment can be made from **any Bank any Branch** using this Paying Slip through NEFT/RTGS (Claim against payment made through EFT in any other JDA bank account will not be acceptable and bidder stands disqualified from participation in the bid applied for). After successful transaction through NEFT/RTGS, as per the standard procedures it may take 4 to 24 hours in process of confirmation of EFT through Auto-Process depending on the time of EFT done. Therefore, option to make payment through EFT (NEFT/RTGS) will be available till 48 hours prior to closing date of bid participation.

Option-3: Payment Gateway (Aggregator)

The facility to make payment through Debit Card, Credit Card, Net banking etc., will be available. User can use this facility from **anywhere any time** till the closing date & time of bid participation.

C. Bid Participation Receipt

After confirming payment, the bidder will get Bid Participation Receipt on the basis of which user will get the payment details along with other details for bidding on e-Procurement portal of GOR.

- In case complete payment is done through Payment Gateway, on successful transaction the "**Bid Participation Receipt**" will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through EFT (NEFT/RTGS), on confirmation of payment from ICICI Bank (Auto Process) "**Bid Participation Receipt**" will be available on Login of Bidder on JDA portal.

24/03/2022

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

Note:

1. Bidder (authorised signatory) shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal.
2. In case, any of the bidders fails to pay the Tender Fee, Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security), and RISL Processing Fee, online (subject to confirmation), its Bid shall not be accepted.
3. To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, Safecrypt, Ncode etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC. Also, bidders must register on http://eproc.rajasthan.gov.in (bidders already registered on http://eproc.rajasthan.gov.in before 30-09-2011 must register again).
4. JDA will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid 11th hour issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
5. Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at eProc website for further details about the e-Tendering process.
6. Training for the bidders on the usage of e-Tendering System (eProcurement) is also being arranged by DoIT&C, GoR on a regular basis. Bidders interested for training may contact e-Procurement Cell, DoIT&C for booking the training slot. Contact No: 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days) e-mail: eproc@rajasthan.gov.inAddress : e-Procurement Cell, JDA, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur
7. The procuring entity reserves the complete right to cancel the bid process and reject any or all of the Bids.
8. No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the procuring entity and the successful bidder.
9. Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.
10. The provisions of RTPPA Act 2012 and Rules thereto shall be applicable for this procurement.Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provisions of this bidding document with theRTPP Act 2012 and Rules thereto, the Provisions of RTPP Act, 2012 and Rules, 2013 Shall Prevail.

24/03/2023

Deputy Commissioner (Admn.)
JDA, Jaipur.

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

Process for Participation & Depositing Payment Online

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, has decided to receive Bidding document fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit through online mode only for which the bidder has to get registered himself on JDA portal

www.jda.urban.rajasthan.gov.in.

To participate in the bid, bidder has to be:

1. Registered on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in (by depositing Rs. 500.00 online, the validity of which remains 3 (three) years).
   For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bid Security Fee, Bid Document Fee, RISL Processing Fee online only.

2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

Methods for depositing on line amount

Option-1:

Bid Security Fee+Tender Fee + RISL Processing Fee amount will be paid through **Payment Gateway only.** options of making complete payment through Payment Gateway or through EFT (NEFT / RTGS) will be available.

Option-2: Electronic Fund Transfer (EFT: NEFT/RTGS)

If the bidder selects payment mode as EFT (NEFT/RTGS), "**Paying Slip for EFT (NEFT/RTGS)**" will be generated by the system for the complete amount. The payment can be made from **any Bank any Branch** using this Paying Slip through NEFT/RTGS (Claim against payment made through EFT in any other JDA bank account will not be acceptable and bidder stands disqualified from participation in the bid applied for). After successful transaction through NEFT/RTGS, as per the standard procedures it may take 4 to 24 hours in process of confirmation of EFT through Auto-Process depending on the time of EFT done. Therefore, option to make payment through EFT (NEFT/RTGS) will be available till 48 hours prior to closing date of bid participation.

Option-3: Payment Gateway (Aggregator)

The facility to make payment through Debit Card, Credit Card, Net banking etc., will be available. User can use this facility from **anywhere any time** till the closing date & time of bid participation.

Bid Participation Receipt

After confirming payment, the bidder will get Bid Participation Receipt on the basis of which user will get the payment details along with other details for bidding on e-Procurement portal of GOR.

- In case complete payment is done through Payment Gateway, on successful transaction the "**Bid Participation Receipt**" will be generated on real time basis.

In case complete payment is done through EFT (NEFT/RTGS), on confirmation of payment from ICICI Bank (Auto Process) "**Bid Participation Receipt**" will be available on Login of Bidder on JDA portal.

24/03/2023
उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

While participation in the bid, a receipt will be generated through the system showing the submission details as per Bid Participation Receipt (Sample Enclosed). The bidder is required to fill the instrument numbers for various heads on e-Procurement portal www.eproc.rajasthan.gov.in as mentioned in the receipt.

Bid Participation Receipt

Date &Time :................. / .... PM

Bid Detail

Bid Id: ....
Bid Title:
Procurement Entity : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bid Value: 16.00 Crore
Bid Opening Place : Room No. 15, Main Block Jaipur Development Authority

Bidder Detail

Name of Entity:	XXXXXXXXXXX	Mobile No.:	XXXXXXXX
Registration Type:	Individual	Instrument Amount:	....
Payment Mode:	Online UTR	Payment Channel:	Payment Gateway ICICI Branch-JDA
Instrument No.:		Instrument Date:	....

Dates Detail

Sr. No.	Event Name	Event Date
1	Publishing Date	.... 03:00 PM
2	Bid Opening Date	.... 03:30 PM

Specific Instrument for eProc Rajasthan

Instrument Type Instrument Number	Head Name	Amount	Date
10000	Tender Fee	....	....
10001	RISL Processing Fee	....	....
10002	Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security)	....	....

Issuer Detail: Jaipur Development Authority

Challan Number:...........................

More details about Registration Process, Terms and Conditions and FAQ along with contact details is available on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in

21/12/2023

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

अरबन प्लानर, आर्किटैक्ट, ट्रांसपोर्ट प्लानर, लैण्डस्केप आर्किटैक्ट, कन्जर्वेशन आर्किटैक्ट, जी.आई.एस. स्पेशलिस्ट एवं ऑटोकैड ऑपरेटर की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा।

–:निविदा की शर्तें:–

ए– निविदा प्राप्ति हेतु वांछित योग्यताएं:–

1. The bidder should be a company registered under Indian companies Act, 1956/2013 or a partnership firm registered under Indian Partnership Act, 1932 or a Proprietorship firm registered under the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958/Amended or a similar Act of any other State/Union. bidder should attach the Copy of Certificate(s) of incorporation/Copy of Registration Certificate (s)
2. Joint ventures or Consortiums are NOT allowed to bid or meet the eligibility criterion. Bidder should bid on its own strength and meet all eligibility criteria. The Bidder is requried to furnish a self-declaration on letter head.
3. निविदादाता के पास Income Tax (Pan No.) ई.एस.आई., ई.पी.एफ., जी.एस.टी. का पंजीयन एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम 1958 के अन्तर्गत लाईसेन्स, श्रम विभाग, राजस्थान द्वारा जारी Contract labour (Regulation and abolition) act 1970 के अन्तर्गत लाईसेन्स/लागू नही होने पर इस आशय का शपथ–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना एवं अन्य वांछित लाइसेन्स होना आवश्यक है।
4. निविदादाता को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण में अरबन प्लानर्स/वास्तुविद्, जी.आई.एस. विशेषज्ञ एवं ऑटोकैड ऑपरेटर तीनों सेवाएं उपलब्ध कराने का पिछले पांच वित वर्षो में से किसी एक वित्त वर्ष का अनुभव एवं उपरोक्त में से किसी एक या अधिक सेवाऐ उपलब्ध करवाने का पिछले 5 वित्त वर्षों में से न्यूनतम 2 वित वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
5. निविदादाता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में औसत 150.00 लाख का टर्नओवर होना आवश्यक हैं, जिसकी पुष्टि हेतु निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की चार्टेड अकाउन्टेंट का टर्नओवर सम्बन्धी प्रमाण पत्र अथवा चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा अंकेक्षित व्यापार एवं लाभ–हानि खातों की छायाप्रति निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
6. Rajasthan Transparency in public procurement Act-2012 and Rules 2013 प्रावधानों के तहत् निविदा प्रपत्र एवं निविदा के साथ संलग्न समस्त प्रपत्र बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
7. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इंण्डिन कम्पनीज एक्ट 1956 या 2013 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।
8. न्यूनतम सर्विस चार्जेज 1.5 प्रतिशत (एक पॉईन्ट पांच प्रतिशत) से कम होने पर बोली स्वतः ही निरस्ती योग्य होगा।
9. संलग्न Annexure- A, B, D & E के अनुसार स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न किया जाना है।
10. यदि संवेदक द्वारा जविप्रा में PT सर्वे से संबंधित निविदा कार्य किया जा रहा है, तो वो उक्त निविदा में भाग नही ले सकता। भाग लेने की स्थिति में उक्त बोलीदाता की बोली स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

बी– अन्य शर्ते :–

1. अनुबन्ध की अवधि निविदा स्वीकृति से एक वर्ष की अवधि हेतु होगी। कार्य संतोषजनक होने पर निविदा अवधि सक्षम स्वीकृति पश्चात् नियमानुसार आगे बढायी जा सकेगी।
2. अरबन प्लानर्स/वास्तुविद, नगर नियोजक/वास्तुविद् (विशेषज्ञ) जी.आई.एस. विशेषज्ञ एवं ऑटोकैड ऑपरेटर की योग्यताएँ एवं कार्य क्षेत्र अनुसलग्नक प्रथम के अनुसार होगा।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

3. न्यूनतम मजदूरी/पीएफ/ई.एस.आई/जी.एस.टी व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। आगामी माह का भुगतान गत माह की PF/ESI/GST राशि जमा कराने के साक्ष्यो के पश्चात् ही देय होगी, इस संबंध का शपथ पत्र 100/—रूपये के स्टाम्प पर प्रतिमाह बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. ई.एस.आई./पी.एफ. एवं जी.एस.टी का भुगतान नियमानुसार जविप्रा द्वारा पृथक से देय होगा।
5. सफल बोलीदाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि LOA जारी तिथि से 7 दिवस जमा कराया जाना आवश्यक है।
6. उक्त सेवाऐ उपलब्ध कराने हेतु एक से अधिक कन्सलटेन्ट फर्म को न्यूनतम दरदाता की दर पर कार्यादेश दिया जा सकता है। एक से अधिक कन्सलटेन्ट फर्मो को अनुबंधित किये जाने पर कार्यादेश उस दर पर एक से अधिक निविदाताओं के मध्य कार्य विभाजित किया जा सकता है।
7. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली, सेवाओ से सम्बन्धित कर्मियों का शैक्षणिक/अनुभव बाबत् दस्तावेज/पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।
8. सफल निविदादाता को कार्यादेश देने पर दी गई समय सीमा में आवश्यतानुसार सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। विलम्बित अवधि के लिए प्रतिदिन प्रति कर्मी 500/— रू. की दर से पैनल्टी राशि वसूली योग्य होगी।
9. कार्य सम्पादन के दौरान किसी कार्मिक को कोई शारीरिक एवं मानसिक क्षति होती है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित कन्सलटेन्ट फर्म की होगी एवं कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व अनुबन्धित फर्म का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
10. **वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या 1/2018 क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 में अंकित समस्त बिन्दु लागू होगें।**
11. सेवाओं की मात्रा जविप्रा की आवश्यकतानुसार नियमानुसार बढाई/कम की जा सकती है। वर्ष भर के दौरान कार्य की न्यूनतम राशि/मात्रा की कोई गारण्टी नही होगी।
12. खुली बोली आमंत्रण प्रपत्र मे प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन का आधार न्यूनतम बोलीदाता के आधार पर किया जावेगा।
13. सम्बन्धित सेवाओं के कार्य कराने की जिम्मेदारी संबंधित कन्सलटेन्ट फर्म की होगी।
14. कन्सलटेन्ट फर्म का कार्य संतोषप्रद नही पाये जाने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन करने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा एवं ऐसी कन्सलटेन्ट फर्म को नियमानुसार ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी एवं उक्त फर्म द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मय ब्याज (यदि कोई हो) जब्त की जा सकेगी।
15. निविदादाता को उपरोक्त "ए" में वांछित योग्यताओं संबंधी आवश्यक प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करने होगे।
16. बोली प्रतिभूति शुल्क, टेण्डर शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन ही जमा करवाना अनिवार्य होगा। इनके ऑनलाईन जमा के अभाव में टेण्डर निरस्त माना जायेगा।
17. किसी बिन्दु पर विवाद होने पर आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। विवादों के लिए न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
18. सेवाओं का भुगतान संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किये गये प्रमाणीकरण के आधार पर किया जावेगा।
19. एजेन्सी द्वारा प्रतिमाह पॉच तारीख तक बिल प्रस्तुत किया जावेगा। संवदेक द्वारा नियोजित किए जाने वाले संविदाकर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से आगामी माह की 10 तारीख तक किए जाने के बाद नियोजित सभी संविदाकर्मियों को किये गये पारिश्रमिक भुगतान का विवरण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही संवदेक को संबंधित माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
20. एजेंसी द्वारा नियोजित श्रमिको को पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से आगामी माह की 10 तारीख तक उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा, जिसके अभाव में संवेदक के विरूद्व विलम्बित अवधि हेतु राशि रू. 1000/— प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
21. किसी भी निविदा/निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत/स्वीकृत करने का अधिकार जविप्रा, जयपुर को होगा।
22. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा में किसी भी शर्त को जोड़ने या हटाने का अधिकार निविदादाता को नही होगा।
23. यदि प्रस्ताव, जिस पर बोली आमंत्रित की गई है, तकनीकी कारणो, बोलीदाता की गलती अथवा अन्य किसी भी कारण से ई–पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होते हैं, तो सम्बन्धित बोलीदाता की बोली स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
24. ALL the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 will be applicable on this tender if there are any contradictions in existing conditions, then provision of The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 shall be applicable.

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

25. अनुबन्ध की अवधि The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 के अन्तर्गत नियमानुसार बढायी जा सकेगी।

26. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 की धारा–38 के अनुसार अपील करने पर Annexure-C एवं फार्म संख्या–1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रकियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

27. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण उपायुक्त (प्रशासन) से प्राप्त किया जा सकता है, लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होने/Portal पर अपलोड करने के 7 दिवस के अन्दर लिखित प्रार्थना–पत्र सदस्य सचिव, कय समिति कमरा नं. 15 जविप्रा, जयपुर को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रत्युत्तर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 कार्य दिवस में दे दिया जावेगा। प्रार्थी को दिया गया स्पष्टीकरण एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो SPPP Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा।(नियम 46 एवं 47)

28. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 प्रावधानों के अनुसार निविदाकर्ता संस्था के अधिकारियों/कार्मिको द्वारा एवं समस्त Bidders द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

29. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 के section-38 के तहत् कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस Bid का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी नामांकित अधिकारी वित्त विभाग राज. जयपुर है।

30. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रूपये 2500/– है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। जो कि अप्रतिदेय है। द्वितीय अपील अधिकारी के सक्षम अपील करने हेतु फीस रूपये 10000/– निर्धारित हैं। जो कि अप्रतिदेय है।

31. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष, 1948), राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के वैद्यानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायितव सम्बन्धित संवेदक का होगा।

32. अनुबंध के दौरान दरें कम होने के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(ज) प्रभावी होगा।

33. बोलीदाता द्वारा चार्ज की जाने वाली सेवा शुल्क की अधिकतम दर 10 प्रतिशत तक हो सकेगी न्यूनतम दर 1.5 प्रतिशत से कम नहीं हो सकेगी।

24/03/2023
उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

हस्ताक्षर निविदादाता (मय सील)

बोलीदाताओं के लिये निर्देशः–

1. निविदादाता द्वारा निविदा, वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.jda.urban.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जावेंगी।
2- ई–उपापन पद्धति से www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की गई निविदा ही स्वीकार की जावेगी। निविदा को अपलोड करने से पूर्व निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक है। निविदा प्रपत्र के साथ नियमानुसार बोली प्रतिभूति शुल्क, बोली प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– राजस्थान की एस.एस.आई यूनिट्स के लिए बोली प्रपत्र राशि 500/– होगी, RISL प्रकिया शुल्क रू. 2000/– आनलाइन निर्धारित खातो में Transfer कर बिडप्रपत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा।
3- बोली ऑन लाईन ई–उपापन पद्धति के माध्यम से Single stage (Two-part) पद्धति **से प्राप्त की जावेगी। तकनीकि बिड में योग्य पाए जाने वाले बोलिदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।**
4- तकनीकि निविदा प्रपत्र के क.सं.–1 से 12 तक उल्लेखित समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ अपलोड करनी होगी।
5- अनुबन्धित अनुमोदित फर्म/ऐजेन्सी द्वारा, निविदा संबंन्धित कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नही किया जा सकेगा।
6- सफल बोलीदाता को नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर LOA जारी तिथि से 7 दिवस में अनुमानित लागत की 2.5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराते हुए अनुबन्ध करना होगा, उक्त के अभाव में बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 2.5 प्रतिशत रखे जाने संबंधी प्रावधान वर्तमान में दिनांक 31.03.2023 तक प्रभावी है, अतः यदि दिनांक 31.03.2023 के पश्चात् बोली आमंत्रित की जाती है तो तद्नुसार नियमो के परिप्रेक्ष्य में ली जाने वाली कार्य प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
7- अरबन प्लानर/वास्तुविद, नगर नियोजक/वास्तुविद् (विशेषज्ञ), जी.आई.एस. स्पेशलिस्ट एवं आटोकैड आपरेटर सेवाओं हेतु योग्यता एवं कार्यक्षेत्र अनुसंलग्नक–प्रथम के अनुसार हैं। जविप्रा की आवश्यकतानुसार सेवाओं की मात्रा में नियमानुसार बढोतरी/कमी की जा सकती है। वर्ष भर के दौरान सेवाओं की न्यूनतम राशि/मात्रा की कोई गारण्टी नही है।
8- निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों की सहमति स्वरूप निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय मोहर करने चाहिये/समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना चाहिये।
9- दरों के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(ज) की पालना की जायेगी।

(अधिशाषी अभियन्ता) जयपुर विकास प्राधिकरण

हस्ताक्षर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भाग–(अ) तकनीकी निविदा

जयपुर विकास प्राधिकरण में अरबन प्लानर, आर्किटैक्ट, ट्रांसपोर्ट प्लानर, लैण्डस्केप आर्किटैक्ट, कर्न्जवेशन आर्किटैक्ट, जी.आई.एस. स्पेशलिस्ट एवं ऑटोकैड ऑपरेटर की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बोलीदाता की योग्यताऐं एवं सामान्य शर्तें :–**(A)**

क्र.सं.	तकनीकी योग्यताऐं	वांछित प्रपत्र
1.	कम्पनी/फर्म का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नं., दूरभाष नम्बर	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित कर संलग्न करना है।
2.	निविदादाता को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड प्राधिकरण में अरबन प्लानर्स/वास्तुविद्, जी.आई.एस.विशेषज्ञ एवं ऑटोकैड ऑपरेटर तीनों सेवाएं उपलब्ध कराने का पिछले पांच वित वर्षो में से किसी एक वित्त वर्ष का अनुभव एवं उपरोक्त में से किसी एक या अधिक सेवाऐ उपलब्ध करवाने का पिछले 5 वित्त वर्षो में से न्यूनतम 2 वित्त वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है।	कार्योदेशों/अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जानी है।
3.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इंण्डिन कम्पनीज एक्ट 1956 या 2013 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।	स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
4.	श्रम विभाग, राजस्थान द्वारा Contract Labour Licence जारी होना आवश्यक है।	श्रम विभाग, राजस्थान द्वारा Contract Labour Licence जारी की स्वप्रमाणित छायाप्रति/लागू नही होने इस आशय का शपथ–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है।
5.	निविदा डॉक्यूमेन्ट फीस, बोली प्रतिभूति राशि एवं आर.आई. एस.एल. प्रोरोसिंग फीस राशि रू. जमा का विवरण।	विवरण संलग्न किया जाना है।
6.	संलग्न Annexure- A, B, D & E के अनुसार घोषणा पत्र।	स्व हस्ताक्षरित संलग्न किया जाना है।
7.	बोलीदाता फर्म को ई.एस.आई एवं पी.एफ. विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।	ESI एवं EPF विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
8.	बोलीदाता को गत 3 वितीय वर्षो 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का औसत टर्नओवर रूपये 150.00 लाख होना चाहिए।	टर्नओवर के सम्बन्ध में चार्टड अंकाउटेंट का प्रमाण पत्र अथवा चार्टेड अकाउटेन्ट द्वारा अंकेक्षित व्यापार एवं लाभ–हानि खातों की छायाप्रति संलग्न की जानी है।
9.	बोलीदाता के पास स्वंय का अथवा फर्म का पेन नम्बर होना आवश्यक हैं	पेन कार्ड की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
10.	बोलीदाता फर्म को राजस्थान सरकार अथवा ज. वि. प्रा. से बोली की दिनांक से गत 3 वर्षो में ब्लेक–लिस्टेड अथवा डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता को इस सम्बन्ध में रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
11.	बोलीदाता Joint Ventures or Consortiums नही होने चाहिये।	कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर इस बाबत स्वघोषणा प्रस्तुत की जानी है।
12.	बोलीदाता का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।	बोलीदाता को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

(B) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5	आयकर का स्थाई खाता संख्या (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंण्डिन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

नोट :– 1. **यदि संवेदक द्वारा जविप्रा में PT सर्वे से संबंधित निविदा कार्य किया जा रहा है, तो वो उक्त निविदा में भाग नही ले सकता। भाग लेने की स्थिति में उक्त बोलीदाता की बोली स्वतः निरस्त समझी जावेगी।**

2. **तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियॉ खोली जावेगी। तकनीकी योग्यताओं मे योग्य नही पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियॉ नही खोली जावेगी।**

मैं.. पुत्र श्री.. सत्यापित कता हूँ कि उपरोक्त अंकित/संलग्न विवरण सत्य हैं तथा निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते स्वीकार है।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता.................................

...

दुरभाष एवं मो.नं.....................................

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्र. स. (1)	सेवा का विवरण (2)	अनुमानित संख्या (3)	पारिश्रमिक (प्रतिमाह) अनुसंलग्नक–प्रथम के अनुसार (4)	सेवा शुल्क (अधिकतम 10 प्रतिशत तक) (बोलीदाता द्वारा भरा जाना है) (5)
1	आर्किटेक्ट (स्नातक)	15	35000	
2	अरबन प्लानर (स्नातक)	13	35000	
3	अरबन प्लानर (स्नातकोतर)	20	40000	
4	ट्रांसपोर्ट प्लानर, (विशेषज्ञ)	01	45000	
5	लैण्डस्केप आर्किटेक्ट, (विशेषज्ञ)	01	45000	
6	कन्ज़र्वेशन आर्किटेक्ट (विशेषज्ञ)	01	45000	
7	जी.आई.एस.विशेषज्ञ (स्नातकोत्तर)	08	30000	
8	जी.आई.एस विशेषज्ञ (स्नातक / डिप्लोमा)	05	21000	
9	ऑटोकैड ऑपरेटर	50	15000	

नोटः–

1. यदि जी.एस.टी लागू है तो जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा।
2. ई.पी.एफ. / ई.एस.आई. अंशदान में नियोक्ता के अंशदान की राशि जविप्रा द्वारा पृथक से देय होगी।
3. सेवा शुल्क अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगा, जिसका उल्लेख बोलीदाता द्वारा कालम संख्या–5 में आवश्यक रूप से दिया जाना है। सेवा शुल्क की न्यूनतक दर 1.5 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
4. बोली के साथ संलग्न शर्तो एवं कार्यविवरण के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

24/03/2023
उपायुक्त (प्रशासन)
ज. विकास प्राधिकरण

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता..................................

दुरभाष एवं मो.नं...

अनुसलग्नक – प्रथम

अरबन प्लानर, आर्किटैक्ट, ट्रांसपोर्ट प्लानर, लैण्डस्केप आर्किटैक्ट, कन्र्जवेशन आर्किटैक्ट, जी.आई.एस. स्पेशलिस्ट एवं ऑटोकैड ऑपरेटर की योग्यताएँ ,निर्धारित दरों एवं कार्य क्षेत्र का विवरण :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	योग्यता	निर्धारित पारिश्रमिक प्रतिमाह	कार्य क्षेत्र
1.	आर्किटेक्ट (स्नातक)	आर्किटेक्चर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि।	35000	नियमन संबंधी प्रकरणों का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जविप्रा की विभिन्न योजनाओं के ले–आउट तैयार करना, निजी/गृ.नि.स.समिति की योजनाओं का आयोजना/तकनीकी दृष्टि से परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार करना, भवन निर्माण स्वीकृति हेतु अनुमोदन के प्रकारणों का परीक्षण व कार्यवाही, लीज डीड हेतु स्थल मानचित्र तैयार करवाना, जविप्रा के नगर नियोजन संबंधी समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार मानदण्डो के अनुसार राय/सुझाव/ टिप्पणी देना।
2.	अरबन प्लानर (स्नातक)	आयोजना में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि।	35000	
3.	अरबन प्लानर (स्नातकोत्तर)	टाउन/सिटी/अरबन/ रिजनल /हाउसिंग/कन्ट्री इन्वायरमेन्टल / इन्फ्रास्ट्रक्चर/रूरल आयोजना में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि	40000	
4.	ट्रांसपोर्ट प्लानर (विशेषज्ञ) (स्नातकोत्तर)	ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि।	45000	जविप्रा से संबंधित समस्त विशेष योजनाओं/प्रकरणों में अपनी विषय विशेषज्ञ राय/सुझाव/टिप्पणी देना। जविप्रा से संबंधित रिजनल प्लान, मास्टर प्लान, जोनल प्लान, सैक्टर प्लान व आयोजना शाखा से संबंधित तकनीकी कार्यो में राय/सुझाव/टिप्पणी देना। नगर नियोजन/वास्तुविद् विशेषज्ञ सलाहकार (कन्सलटेंट) के रूप में कार्य करेगें।
5.	लैण्डस्केप आर्किटेक्ट (विशेषज्ञ) (स्नातकोत्तर)	लैण्डस्केप आर्किटेक्चर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि।	45000	
6.	कन्र्जवेशन आर्किटेक्ट (विशेषज्ञ) (स्नातकोत्तर)	आर्किटेक्चरल कन्र्जवेशन/ हैरिटेज कन्र्जवेशन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि।	45000	
7.	जी.आई.एस विशेषज्ञ (स्नातकोत्तर)	(I) जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम/ रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायों में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव	30000	जविप्रा से संबंधित समस्त रिजनल प्लान, मास्टर प्लान, जोनल प्लान, सैक्टर प्लान, बेस मेप आदि अन्य मानचित्र/प्लान तैयार करने का कार्य, राजस्व मानचित्रों का उपरोक्त तकनीकी मानचित्रों पर सुपरइम्पोजिशन का कार्य व अन्य समस्त आयोजना शाखा से संबंधित तकनीकी कार्य।
8.	जी.आई.एस विशेषज्ञ (स्नातक/ डिप्लोमा)	(II) जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम / रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित	21000	

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

		निकायों में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव। **अथवा** जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम/ रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में डिप्लोमा के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायों में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव। स्नातक उपाधि वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।		
9.	ऑटोकैड ऑपरेटर	ड्राफ्टसमैनशिप में आई.टी.आई./ आर्किटेक्चर में डिप्लोमा/ इन्टिरियर डिजाईन में डिग्री अथवा डिप्लोमा के साथ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।	15000	जविप्रा/निजी/गृ.नि.स.समिति की विभिन्न योजनाओं के ले-आउट प्लान तैयार करना अथवा क्षेत्रफल विश्लेषण की गणना करना, भवन निर्माण स्वीकृति हेतु अनुमोदन के प्रकरणों में क्षेत्रफल गणना की जांच करना, लीज डीड हेतु स्थल मानचित्र तैयार करना व जविप्रा के नगर नियोजन संबंधी समस्त प्रकरणों में क्षेत्रफल विश्लेषण, तकनीकी कार्यो में ऑटोकैड संबंधित कार्य करना।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

हस्ताक्षर निविदादाता (मय सील)

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest. –

The Bidder participating in a bidding process must no have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to :

   (a) Have controlling partners/shareholders in common; or

   (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any them; or

   (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

   (d) Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

   (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

   (f) The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or service that subject of the bid; or

   (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

23/03/2023
DC(Admin)
JDA, Jaipur
उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

Signature of Bidder

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my / our Bid submitted to .... for procurement or .... in response to their Notice inviting Bids No................ dated...................... I/we .... hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer] not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of Bidder

Name :

Designation :

Address :

DC (Admin)
JDA, Jaipur

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधि

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is...................................
The designation and address of the Second Appellate Authority is ....

(1) Filing an appeal :-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases :-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions Limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) From of Appeals :-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing Appeal :-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

(7) Procedure for disposal of appeal :-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant record or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause © above shall also be placed on the state public procurement portal.

DC(Admin)
JDA, Jaipur
उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

Signature of Bidder (in case of appeal)

Annexure D : Additional Conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(1) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding document.

(2) In case of procurement of Goods or service, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods/services of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest. Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण

Annexure E

FORM No. 1

[see rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act. 2012

Appeal No..of ....Before the .... (First /second Appellate authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s) :
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed Against and name and designation of the Office/ authority who passed the order (Enclose copy), or a statement of a decision, Action or omission of the procuring Entity In contravention to the provisions of the Act By which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address Of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed With the appeal:
6. Grounds of appeal: ....
   (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place:...

Date:...

DC(Admin) 24/03/2023

उपायुक्त (प्रशासन)

JDA, Jaipur

जयपुर विकास प्राधिकरण

Appellant's Signature

Tender Inviting Authority: JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR
Name of Work:- Providing Urban Planners, Architects, Urban planners/Architects (Specialist),G.I.S Specialist & Auto CAD Operator Services

NIB No:- DC (Admn.)09/2022-23

Bidder Name						
Sl. No.	**Item Description**	**Quantity**	**Units**	**Remuneration**	**Service Charge in Per cent (min. 1.5% & max. up to 10 %) (To be filled by Bidder)**	**Total**
A	B	C	D	E	F	(C*E)*F/100
1.	आर्किटेक्ट (स्नातक)	15	प्रति	35000		
2.	अरबन प्लानर (स्नातक)	13	प्रति	35000		
3.	अरबन प्लानर (स्नातकोत्तर)	20	प्रति	40000		
4.	ट्रांसपोर्ट प्लानर, (विशेषज्ञ) (स्नातकोत्तर)	1	प्रति	45000		
5.	लैण्डस्केप आर्किटेक्ट,(विशेषज्ञ) (स्नातकोत्तर)	1	प्रति	45000		
6.	कन्जर्वेशन आर्किटेक्ट (विशेषज्ञ) (स्नातकोत्तर)	1	प्रति	45000		
7.	जी.आई.एस.विशेषज्ञ (स्नातकोत्तर)	08	प्रति	30000		
8.	जी.आई.एस विशेषज्ञ (स्नातक / डिप्लोमा)	05	प्रति	21000		
9.	ऑटोकैड ऑपरेटर	50	प्रति	15000		
Total in Figures						
Quoted Rate In Figures						
Quoted Rate in Words						

नोटः–

1. यदि जी.एस.टी लागू है तो जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा।
2. ई.पी.एफ. / ई.एस.आई. अंशदान में नियोक्ता के अंशदान की राशि जविप्रा द्वारा पृथक से देय होगी।
3. सेवा शुल्क अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगा, जिसका उल्लेख बोलीदाता द्वारा कालम संख्या–एफ में आवश्यक रूप से दिया जाना है। सेवा शुल्क की न्यूनतमक दर 1.5 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

उपायुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण